| 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|
| 4. Additional Bench, Madras | 1. Stenographer Grade II | 2 |
| | 2. Technical Assistant | 2 |
| | 3. Assistant | 1 |
| | 4. L.D.C. | 2 |
| | | 7 |

**Transfer from one Bench to another Bench of Settlement Commission**

6400. SHRI SARADA MOHANTY: Will the Minister of FINANCE be pleased to refer to answer to Unstarred Question 2125 given in the Rajya Sabha on the 8th March, 1994 and state:

(a) whether Government have transferred the post of one Member from Calcutta Bench of Settlement Commission (Income Tax and Wealth Tax) to its Principal Bench, in order to tackle the large pendency of cases in Delhi bench;

(b) whether he is aware that the said Member has been assigned the Administrative work instead of the work relating to pendency of cases in Principal Bench; if so, the reasons therefor;

(c) whether any Administrative Financial Powers have been delegated to him; if so, by whom and to what extent; and

(d) if not, how the administrative financial work of the said bench is being performed by him?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF FINANCE (SHRI M. V. CHANDRASHEKHAR MURTHY): (a) Yes, Sir.

(b) The administrative work has been assigned in addition to the work relating to pendency of cases in the Principal Bench.

(c) and (d) Some administrative powers have been delegated by the Chairman for the purpose.

**शस्त्रों, विस्फोटकों तथा नशीले द्रव्यों की तस्करी**

6401. **श्री दिलीप सिंह जूदेव:** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या गुजरात और राजस्थान में भारत पाक सीमा पर हाल ही में शस्त्रों, विस्फोटकों, औषधियों, नशीले द्रव्यों, सोने और चांदी की तस्करी की घटनाओं में वृद्धि हुई है;

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है; और

(ग) चालू वर्ष में अभी तक उक्त सीमा पर पकड़े गये शस्त्रों, विस्फोटकों, औषधियों, नशीले द्रव्यों, सोने और चांदी का ब्यौरा क्या है?

**वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० वी० चन्द्रशेखर मूर्ति):** (क) से (ग) तस्करी एक चोरी-छिपे किए जाने वाला धन्धा होने के कारण निश्चित रूप से यह कहना संभव नहीं है कि इसमें अभी हाल ही में वृद्धि हुई है। तथापि, गुजरात और राजस्थान में भारत-पाकिस्तान सीमा तस्करी के लिए सुगम्य बनी हुई है।

वित्तीय वर्ष 1993-94 (14 फरवरी तक) के दौरान गुजरात और राजस्थान में भारत-पाकिस्तान सीमा पर वित्त मंत्रालय के अंतर्गत एजेंसियों द्वारा किए गए अभिग्रहणों का ब्यौरा निम्नानुसार है:—

सोना — 49.175 किलोग्राम जिसका मूल्य 223.38 लाख रुपये बैठता है।

चांदी — 554.498 किलोग्राम जिसका मूल्य 32.09 लाख रुपये बैठता है।

चरस — 205.72 किलोग्राम
हशीश — 60.645 किलोग्राम
हेरोईन — 31.205 किलोग्राम
मैंड्रक्स की टिकियां — 1833.24 किलोग्राम
एक कार्बाइन गन
एक डब्बल बैरल गन
17 — कारतूस।